पंजीकृत

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-1

संख्या-4/2016/229/12-1-16-600/2015

लखनऊ: दिनांक 04 अप्रैल, 2016

विज्ञप्ति/नियुक्ति

श्री राज्यपाल महोदय, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2014 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) में वेतन बैण्ड-3 के सादृश्य वेतनमान रू0 15600-39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400/- में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थीगण को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थियों का नाम व पिता का नाम (सर्व श्री)	गृह जनपद	वर्तमान पता	स्थायी पता	नई तैनाती का स्थान
1	सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्री रतन विक्रम	शाहजहांपुर	कार्यालय, उप संचालक, कृषि, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)	ग्राम-मनोरथपुर चौक, पोस्ट-कटेली, थाना-जलालाबाद, जनपद-शाहजहांपुर, उ0प्र0।	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, नवाबगंज, बरेली।
2	प्रबोध कुमार पुत्र श्री हरिवंश मिश्रा	झारखण्ड	एच0बी0 मिश्रा, को-आपरेटिव, कालोनी, हुरहुर, नियर सेन्ट किरन स्कूल, हजारीबाग, झारखण्ड, पिन-825301	एच0बी0 मिश्रा, को-आपरेटिव, कालोनी, हुरहुर, नियर सेन्ट किरन स्कूल, हजारीबाग, झारखण्ड, पिन-825301	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सरधना, मेरठ।
3	प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद	हरदोई	डी0एन0 कालेज एवं ए0के0 स्कूल तिर्वा, कन्नौज, पिन-207932	ग्राम व पोस्ट-बेहसार, थाना-कासिमपुर, जिला-हरदोई, उ0प्र0, पिन-241305	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, मोहम्मदी, लखीमपुरखीरी।
4	प्रीत कुमार पुत्री श्री जितेन्द्र प्रताप	अम्बेडकर नगर	म0नं0-584, निराला नगर, खोजनपुर, तहसील-फैजाबाद, जिला-फैजाबाद, उ0प्र0।	ग्राम-बलरामपुर, पो0-भडसारी, तहसील-टाण्डा, जिला-अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, उतरौला, बलरामपुर।

2. संबंधित अभ्यर्थीगण को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

क्रमशः पृष्ठ-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/संस्तुत अभ्यर्थीगण की ज्येष्ठता, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उपर्युक्त अभ्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (अद्यावधिक संशोधन सहित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक एवं आय संबंधी प्रमाण पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से हो, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों आदि सुसंगत अभिलेख लेकर, कार्यभार ग्रहण करने हेतु कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विलम्बतम 01 माह के भीतर अपनी योगदान आख्या उक्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।

5. संबंधित अभ्यर्थीगण को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. प्रश्नगत नियुक्तियां, मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-14299-14301/2007 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 तथा अन्य प्रति पारस नाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-4/2016/229(।)/12-1-16-600/2015 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित अभ्यर्थियों को उक्तानुसार कार्यभार ग्रहण कराकर उनको प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।
3. अपर कृषि निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहबाद को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थीगण।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. कार्मिक अनुभाग-4 को उनके पत्र संख्या-15/20/2015-का-4-2015 दिनांक 03.09.2015 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 19.10.15 के संबंध में।
8. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
9. गार्ड बुक, कृषि अनुभाग-1

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in